फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बंशीधर बनाम नानगराम

संख्या : 1/24 TR

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/6/2024	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी 1,2 के अधिवक्ता उप०। अप्रार्थी 1,2 ने जवाब हेतु अवसर चाहा। न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है आ.ता. पक्षी पर जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद समझा जावेगा। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/6/2024 को पेश हो सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	
	11/6/2024	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी 1,2 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी 1,2 जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है अतः जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी 1,2 के अधिवक्ता की प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने जाहिर किया कि अप्रार्थीगण बिना तकासमा करवाये विवादित आराजी का बेचान करना चाहते है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अप्रार्थी 1,2 के अधिवक्ता ने जाहिर किया की दोनों पक्षों को पाबन्द कर दिया जावे। पत्रावली व बहस में किये गये तथ्यों पर मनन किया गया। वाद बंटवारे का है अतः वाद बाहुल्यता को रोकने व अविभाजित आराजी के संरक्षण के लिए आदेश [illegible] को मूलवाद के निस्तारण तक [illegible] किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meen
Date: 2024.09.09 12:58:53 IST
Reason: SelfAttested